


**No. HQ/PIO/RTI/377/15**

**Date: 12.01.2016**

श्री राम औतार,  
पुत्र श्री लाला राम,  
चौद मियां का फार्म,  
मंशाराम वाली गली,  
अशोक नगर, इटावा, उ०प्र०।



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 23.12.2015, received in this office on 29.12.2015.


संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

गाटा सं. 498, 470, 466, 470, 468, 467, 495 डी.एफ.सी.सी. परियोजना में अधिग्रहीत किया गया है। जिसके पुर्नरीक्षित प्रतिकर के भुगतान हेतु मां. आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर में वाद सं. 24/2010-11, 114/2013-14 तथा 10/2012-13 दायर किया था। उक्त दायर वाद में डी.एफ.सी.सी., अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई स्थल आख्या की प्रति प्रेषित की जा रही है।

चुंकी आपका गाटा सं. 495 के प्रपत्र नहीं जमा किये हैं जिसके कारण फार्म- सी.सी. एवं फार्म - 11 बनाया नहीं जा सकता है। अतः प्रपत्र डी.एफ.सी.सी. कानपुर/इटावा कार्याल में यथाशीघ्र जमा करने का कष्ट करें।

However, in case, you are not satisfied with the information you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the **Appellate Authority, GGM/Admn, DFCCIL, New Delhi.**

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
(S.K. Panda)  
DGM/PIO

Copy to : CPM/Tundla